एरोड्रम और एमआईजी थाना पुलिस रात में सड़क पर उतरी

कॉम्बिंग गश्त में 1015 बदमाशों को किया चेक, 492 पर की गई कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने गुंडे-बदमाशों की धरपकड़ मुहिम फिर से शुरू कर दी है

शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस लगातार कॉम्बिग गश्त कर बदमाशों की धरपकड़ करती है। कुछ दिन से मुहिम को विराम दिया था, लेकिन अपराध बढ़ने के बाद शनिवार-रविवार की दरमियानी रात फिर अभियान चलाया।

इसमें 1015 को चेक कर 492 पर वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि 289 से अधिक मामलों में वारंट तामील कराए गए। इनमें 67 स्थायी, 84 गिरफ्तारी, 138 जमानती वारंट और 136 समन शामिल हैं। गश्त के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले लापरवाह चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 97 के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में प्रकरण बनाए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 चालकों, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के 17 प्रकरण दर्ज किए।

देशी पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार: एरोड्रम पुलिस ने आरोपी को देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अवैध हथियार रखने वालों पर एमआईजी पुलिस ने चार अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए। तिलक नगर पुलिस ने जिलाबदर आरोपी को जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते पकड़ा।

किस अपराध के कितने आरोपी

203 आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाश	37 निगरानीशुदा बदमाश
61 नकबजन	42 जिलाबदर-रासुका के तहत बंदी
31 लुटेरे	9 महिला अपराधों में शामिल आरोपी
73 चाकूबाज	15 आगजनी व तोड़फोड़ में लिप्त
15 ड्रग पैडलर्स	अपराधी को सलाखों के पीछे धकेला गया है।
37 हिस्ट्रीशीटर	

पत्नी से प्रताड़ित कारोबारी ने लगाई फांसी, मौत से पहले बनाया वीडियो, केस दर्ज

इंदौर। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर रेडीमेड कारोबारी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के पहले उसने वीडियो भी बनाया था। हीरानगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में रहने वाले मिथुन पिता गंगाराम का रेडीमेड कपड़े बनाने का कारोबार था। मृतक की मां राजकुमारी ने उसकी पत्नी पर आरोप लगाते हुए बताया कि मिथुन पत्नी से परेशान था। उसकी पत्नी ने बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पति मिथुन को ढाई साल के लिए जेल भिजवा दिया था। जेल में उसे लकवे की बीमारी हो गई थी। जब जेल से जमानत पर छूटकर आया तो फिर कुछ दिन बाद नया केस लगाकर फिर 10 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। पिछले दिनों मिथुन के कारखाने में आग लगी तो भी पत्नी ने उस पर आग लगाने के आरोप लगाए। पत्नी ने मिथुन की पुलिसकर्मियों से पिटाई भी कराई थी।

प्रेमी से मिलने आई युवती से दुष्कर्म का प्रयास, केस दर्ज

बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने की घिनौनी हरकत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

तीन साल से भोपाल निवासी युवती लिव इन में रह रही थी। उसका प्रेमी इंदौर आया था। प्रेमी से मिलने जब वह इंदौर आई तो दोस्तों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामला राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक... घटना दो दिन पहले सहकार नगर क्षेत्र में हुई। पुलिस ने भोपाल में रहने वाली 23 वर्षीय पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी विनोद और सचिन पर केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि मैं 20 जुलाई को प्रेमी भूपेंद्र से मिलने आई थी। 24 जुलाई को आरोपी विनोद ने भूपेन्द्र को फोन कर उसके रूम पर खाना खाने बुलाया था। हम वहां गए तो आरोपी विनोद और भूपेन्द्र ने शराब पी। थोडी देर बाद वहां सचिन भी आ गया था। जब इन लोगों ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया तो आरोपियों ने मुझे पहचानते हुए विवाद किया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। सचिन कहने लगा कि तू भूपेन्द्र से क्यों बात करती है? हमें भी खुश कर दे... ऐसा कहकर आरोपियों ने मेरे साथ छेड़खानी की और बलात्कार का प्रयास करने लगे। मैंने विरोध किया और शोर मचाते हुए भूपेन्द्र की मदद से वहां से भागकर अपने को बचाया।

होस्टल में समझाइश के दौरान विवाद

भंवरकुआ में निजी होस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच विवाद में समझाइश देने गए छात्र के साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक... विवाद भोलाराम उस्ताद मार्ग पर हुआ। फरियादी सुमित पिता दिलीप सोनी निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग की रिपोर्ट पर आरोपी रुद्र पिता लोकेंद्रसिंह तोमर पर केस दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि रुद्र तोमर अपने साथियों के साथ विवाद कर रहा था। मैंने उसे विवाद करने से मना किया तो वह गालियां देने लगा। गाली देने से मना किया तो उसने मारपीट की।

इंदौर में 'केयर संगम', 10 किमी दूर के निवासियों को मिलेगी यह सुविधा

नियमित स्वास्थ्य जांच, वेलनेस सत्र, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

सीएचएल हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं।

शहर के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से केयर सीएचएल हॉस्पिटल्स ने 'केयर संगम' नामक सामुदायिक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर रहने वाले निवासियों के लिए तैयार की गई है, ताकि उन्हें जांचों, स्वास्थ्य रहने की जागरूकता और इमरजेंसी चिकित्सा सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा सके।

'केयर संगम' के तहत निवासियों को नियमित स्वास्थ्य जांच और वेलनेस स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत ओपीडी और आईपीडी सेवाओं में प्राथमिकता सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता सत्र (निर्धारित समय अनुसार), सीमित दूरी और चुनिंदा केस में निःशुल्क एम्बुलेंस पिकअप सेवा और 24 घंटे सक्रिय आपातकालीन हेल्पलाइन (0731-4774444) जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा मासिक स्वास्थ्य वार्ताएं, व्यक्तिगत तिमाही स्वास्थ्य कैलेंडर और स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्यता के अंतर्गत निवासियों को डॉक्टर कंसल्टेशन, हेल्थ चेक पैकेज, इन-हाउस जांच और फार्मेसी सेवाओं पर निर्धारित प्रतिशत में छूट मिलेगी। इन-पेशेंट (आईपीडी) भर्ती पर भी सीमित रियायतें उपलब्ध होंगी। हालांकि यह छूट दवाओं, कंज्यूमेबल्स और इंप्लांट्स पर लागू नहीं होगी। सभी छूटें 31 दिसंबर, 2026 तक मान्य रहेंगी और एक समय में केवल एक ऑफर का ही लाभ लिया जा सकेगा।

केयर सीएचएल हॉस्पिटल के सीओओ मनीष गुप्ता ने कहा 'केयर संगम' कार्ड अस्पताल के बिलिंग डेस्क, हेल्प डेस्क या निर्धारित केयर संगम हेल्थ कैंपस से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें कार्यक्रम से जुड़ी सभी सुविधाएं और प्राथमिकता सेवाएं उपलब्ध होंगी।

भाजपा नेता के बेटे ने पुलिसकर्मी की बाइक पर चढ़ाई कार

इंदौर। भाजपा नेता कमाल खान के बेटे माज ने तेज गति से कार चलाकर सामने से आ रहे पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पुलिसकर्मी बाइक सहित गिर गया। इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल क्राइम ब्रांच के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक... आरोपी धेनु मार्केट वाली रोड से नेहरू पार्क तरफ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह महिला साथी के साथ ड्रग्स की डिलीवरी देने जा रहा है। तत्काल पुलिस ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। कार में महिला भी थी। पुलिस ने कार चेक की तो उसने 50 ग्राम ड्रग्स मिलना बताया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्रग्स सप्लाय करने जा रहा था। जब उसे पकड़ा तो वह पिता के नेता होने का दबाव बनाने लगा, लेकिन पुलिस के सामने उसका दबाव काम नहीं आया। बता दें... माज के भाई पर भी कई केस पुलिस थाने में दर्ज हैं। हालांकि, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़े जाने की पुष्टि नहीं की है।

फेक न्यूज वायरल की तो खबरदार, होगी एफआईआर

शहर की छवि खराब करने वालों को महापौर की दो टूक

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

कतिपय लोगों ने खजराना ब्रिज से पानी लीकेज होने संबंधी न्यूज सोशल मीडिया पर चलाई। इससे अधिकारी सकते में आ गए और ताबड़तोड़ निरीक्षण किया तो पता चला कि न्यूज पूरी तरह गलत है। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शहर की छवि बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि नागरिकों का धन्यवाद, जो सही मुद्दों को निगम तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ लोग महज लाइक्स और व्यूज के लिए फर्जी और गुमराह करने वाली पोस्ट डालकर शहर की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया- हाल ही में खजराना ब्रिज की आड़ में दूसरे शहर के वीडियो को इंदौर का बताकर भ्रम फैलाया गया। किसी और शहर के गड्ढे में ऑटो पलटने की घटना को इंदौर का बताकर पोस्ट किया।

तीन तस्करों से एमडी ड्रग्स और गांजा जब्त

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

देवास और धार से आकर करते थे सप्लाय

एक तरफ पुलिस मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करा रही है, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने तीन तस्करों को एमडी ड्रग्स और गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तस्कर देवास और धार से आकर नशीला पदार्थ सप्लाय करते थे।

कार्रवाई : संदिग्ध की चेकिंग करते चैतन्य हनुमान मंदिर एमआर-4 रोड के पास में पुलिस ने जिशान खान निवासी घोड़ा चौपाटी के पास धार तथा रेहान खान निवासी धार को 2.475 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा। जिशान खान पंखे लगाने, सुधारने का काम करता है, जबकि रेहान खान मैकेनिक है। सदर बाजार पुलिस ने गोविंद नगर खारचा निवासी जितेन्द्र यादव से 872 ग्राम गांजा बरामद किया। उसे तिलक पथ से पकड़ा था।

शहर के 100 प्रमुख चौराहों पर लगाए जाएंगे आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

बेतरतीब ट्रैफिक को दुरुस्त करने कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली।

शहर के बेतरतीब ट्रैफिक को दुरुस्त करने कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इसमें कहा कि वर्तमान में 39 चौराहों पर सिग्नल लगे हैं। आगामी दिनों में सिग्नलों की संख्या 100 की जाएगी। नए सिग्नल आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की होगी। नए सिग्नल लगाने शीघ्र टेंडर बुलाए जाएंगे, वहीं नए सिग्नल किन चौराहों पर लगेंगे... इसका सर्वे किया जाएगा। इन सिग्नलों की सतत कार्यशीलता सुनिश्चित करने सौर ऊर्जा या बैटरी बैकअप जैसी वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी की जाए।

कलेक्टर ने कहा- शहर के प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक दबाव के आधार पर सिग्नलों की टाइमिंग निर्धारित की जाए। यह निर्णय यातायात की सुगमता, दुर्घटनाओं में कमी और वाहन चालकों की सुविधा के दृष्टिकोण से लिया गया है। जिन 29 वाहन चालकों ने 10 बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़े, उन वाहनों को जब्त किया जाएगा। आगामी समय में 5 से अधिक उल्लंघन पर भी पंजीयन निरस्त किए जाएंगे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-चालान वसूली की व्यवस्था को नए सिरे से और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। अब चालान की राशि अगले प्रमुख चौराहे पर वसूली जाए। प्रारंभ में दो-तीन चौराहों पर यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी।

ई-रिक्शा पर प्रतिबंध का कराया जाएगा सख्ती से पालन: ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने यातायात पुलिस को सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। राजबाड़ा क्षेत्र में प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अवैध रूप से संचालित बस स्टैंडों पर 7 दिनों में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। किसी भी बस को अवैध रूप से सड़क किनारे यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को वैकल्पिक निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा।

बिना अनुमति स्पीड ब्रेकर बनाने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने सभी निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा समिति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जाए। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित इंजीनियर पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और देयकों के भुगतान को आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में लिया जाएगा।

नशे से दूरी के लिए संगीत कार्यक्रम से किया जागरूक

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

गीत-संगीत के साथ बताए गए नशे के दुष्परिणाम।

नशे से दूरी है जरूरी को लेकर पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एमआईजी चौराहा पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जागरूकता का संदेश दिया। अभियान अंतर्गत मैराथन दौड़, विभिन्न क्षेत्रों में रैली का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल-कॉलेज में सेमिनार रखे जा रहे हैं।

रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता तथा सोशल मीडिया रेडियो स्टेशन एवं सिनेमाघर में भी प्रचार किया जा रहा है। संगीत कार्यक्रम में एएसआई शेखर पंवार ने नशे से दूरी के संबंध में गीत प्रस्तुत किए। मौजूद युवा पीढ़ी एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने कार्यक्रम की सराहना के बाद नशे से दूर रहने की शपथ ली। इस अवसर पर थाना प्रभारी सी.बी. सिह, उपनिरीक्षक प्रहलादसिह चौहान, उपनिरीक्षक राहुल डाबर तथा अन्य स्टाफ भी मौजूद थे।

Yellow Diamond प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर- 452020, म.प्र., भारत
फोन: (91 731) 2437604 / 642; फैक्स: (91 731) 2437605
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in; वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

जून 30, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

जून 30, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 25 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया है।

जून 30, 2025 को समाप्त तिमाही के संपूर्ण अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध हैं। इसे **क्यूआर कोड** स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान: इंदौर
दिनांक: जुलाई 26, 2025

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
अमित कुमत
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मधुमेह मेला : जागरुकता लिए विशेष आयोजन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

डायबिटीज के प्रबंधन और जागरूकता को लेकर मधुमेह मेला 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इसका नेतृत्व वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. संदीप जुल्का करेंगे। यह आयोजन विशेषकर टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से प्रभावित लोगों के लिए है।

डॉ. संदीप जुल्का ने बताया कि मेले का उद्देश्य जानकारी देने के साथ इसके मैनेजमेंट संबंधी व्यावहारिक पहलुओं को सहज भाषा में समझाना भी है। मेले में विशेषज्ञ डॉक्टर मधुमेह की देखभाल, जटिलताओं की रोकथाम और स्वस्थ्य जीवनशैली संबंधी सलाह देंगे।

टाइप-1 मधुमेह से प्रभावित बच्चों के लिए शुगर स्मार्ट शेफ जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे अपने घर पर स्वस्थ्य व्यंजन बनाकर लाएंगे। इस प्रतियोगिता के जज होटल द पार्क इंदौर के शेफ पिंटू पासवान और वरिष्ठ शेफ ज्योति चौबे होंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता और शैक्षिक खेल भी रखे गए हैं। डॉ. जुल्का ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में जागरूकता बढ़ाने और जीवन को सामान्य बनाए रखने में मददगार होती हैं।

टाइप-2 मधुमेह मरीजों के लिए केयर सीएचएल हॉस्पिटल के सहयोग से स्वास्थ्य जांच की सुविधा कम शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। मेले में नेत्र जांच निःशुल्क रहेगी, ताकि मधुमेहजनित आंखों की समस्याएं समय रहते पहचानी जा सकें।

कार्यक्रम में डॉ. संदीप जुल्का द्वारा मधुमेह प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील शर्मा मधुमेह और हृदय स्वास्थ्य के आपसी संबंध पर जानकारी देंगे।

GRIHUM गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालय : छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा, यूनिट धन ट्राइडेंट, मंगल सिटी सर्विस रोड, स्कीम क्रमांक 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010
ई-नीलामी - बिक्री सूचना सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है, जो 17 नवंबर 2023 से प्रभावी है) (जिसे पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित) (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे "प्रतिभूत ऋणदाता" कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, सुरक्षित ऋणदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है।

संपत्तियाँ 27/08/2025 को ई-नीलामी के माध्यम से "जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएँगी। आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

स. क्र	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {A}	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि {B}	कब्जा की प्रकृति {C}	संपत्ति का विवरण {C}	आरक्षित मूल्य {D}	ईएमडी (आरपी का 10%) {E}	ईएमडी जमा करने की तिथि{F}	वृद्धिशील बोली {G}	संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय {i}	नीलामी की तिथि और समय {J}	ज्ञात भार/ अदालती मामले यदि कोई हों {K}
1	लोन नं. HM0135H17100083 रोहित (उधारकर्ता) मोहन (सह-उधारकर्ता) संजू (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांक: 06/02/2025 कुल बकाया: रु. 602709/- (छह लाख दो हजार सात सौ नौ रुपये मात्र) 06/02/2025 तक देय, साथ ही वसूली तक 18.35% प्रति वर्ष ब्याज भी देय।	भौतिक	मकान संख्या 102,वार्ड संख्या 01, पुलिस चौकी संख्या 64/127, ग्राम झाड़ी बड़ौदा, तहसील एवं जिला धार, मध्य प्रदेश का वह पूरा टुकड़ा। सीमाएँ:- पूर्व - सड़क, पश्चिम - खाली जगह, उत्तर - भगवान सिंह का खाली प्लॉट, दक्षिण - स्वयं की खाली जमीन। कुल क्षेत्रफल - 2990 वर्ग फुट।	रु.12,29,638/- (बारह लाख उनतीस हजार छह सौ अड़तीस रुपये मात्र)	रु. 1,22,963.8/- (रुपये एक लाख बाईस हजार नौ सौ तिरसठ और	26/08/2025 5 PM से पहले	10,000/-	20/08/2025 (11AM – 4PM)	27/08/2025 (11 AM- 2PM)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोलियाँ जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट करें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बकाया और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाए और चुकाए जाएँगे।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26। सहायता ईमेल आईडी - Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति - धरनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1india.com संपर्क संख्या- 9948182222. कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। खाता संख्या-091551000028 और IFSC कोड- ICIC0000915, ICICI बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 26/08/2025 को या उससे पहले निकाला गया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई-मेल करने और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजने की आवश्यकता होती है: पहला तल, जेड -26, जोन -1, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश -462011 मोबाइल नंबर। +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com & www.grihumhousing.com पर जाएँ।

इस सूचना को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को 30 दिनों का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थान : धार, दिनांक 27.07.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)